

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद पिथौरागढ़ में बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग – 6.1395 है० सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/7842/2014)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 3.4343 है० उखेड़ा वन पंचायत भूमि व 0.7486 है० बेलकोट भण्डारी वन पंचायत भूमि कुल 4.1829 वन पंचायत भूमि तथा 1.9566 है० सिविल वन भूमि कुल 6.1395 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल एवं पंचायती वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 14/03/2015

स्थान: देहरादून